


312



# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 .....R...../13

R 478- 2/13

श्री श्रीरामराव शर्मा श्रीमान  
द्वारा आज दि 4/2/13 को  
प्रस्तुत  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जगदीश पुत्र गेंदालाल जाति ब्राह्मण  
निवासी ग्राम रौरिया पुरा मौजा  
कमतरी तहसील अम्बाह जिला मुरैना  
म0प्र0 .....आवेदक

### बनाम

1-श्रीमती गिरिजा देवी पुत्री  
दुर्जनलाल पत्नी राकेश पाठक  
निवासी ग्राम रौरिया पुरा तह0 अम्बाह  
हाल निवासी ग्राम सामौर जिला  
धौलपुर (राजस्थान)

.....मूल अनावेदक

- 2-रामौतार पुत्र गेंदालाल
- 3-अमरसिंह पुत्र गेंदालाल
- 4-महेश पुत्र विद्याराम
- 5-नाथू पुत्र तुस्सीराम
- 6-रमेश पुत्र तुस्सीराम
- 7-कल्लू पुत्र तुस्सीराम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम  
रौरिया पुरा मौजा कमतरी तह0  
अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

.....पूरक अनावेदकगण

श्रीरामराव  
4/2/13

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 23/11/2012

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय मुरैना

के प्र0क0 07/09-10 निगरानी अंतर्गत

धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है-


श्रीरामराव  
3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-478-एक/13

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	

32